न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–   राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–   316 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :–   2023 / 512

प्रार्थी   बनाम   विप्रार्थी

जोराराम पुत्र मांगीलाल
जाति भील
निवासी पचपदरा
तहसील पचदरा व जिला बालोतरा

1.बगदाराम पुत्र मांगीलाल
2.नेमाराम पुत्र मांगीलाल
3.मंगलाराम पुत्र मांगीलाल
4.चौथीदेवी पत्नि मांगीलाल
5.भैराराम पुत्र राणाराम जाति भील
निवासी पचपदरा व जिला बालोतरा
6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री शभूसिंह,अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अमित कुमार खारवाल,अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 5

3.विप्रार्थी संख्या 06 अनुपस्थित।

:–आदेशः–

दिनांक 15.3.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम मालियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 616/378 क्षेत्रफल 26.09 बीधा भूमि प्रार्थी की खातेदार में अवस्थित है। विवादित भूमि मूल खसरा संख्या 378 रकबा 129–02 बीधा प्रार्थी के पिता मांगीलाल व अन्य सहखातेदारी में आई हुई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर वारिसान के [illegible] प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुई,जिसमें प्रार्थी का सही [illegible] अंकन किया गया। विवादित भूमि के प्रार्थी एंव अन्य सहखातेदार द्वारा भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाया गया,उक्त बंटवाड़ा के आधार पर भरे गए नामान्तकरण संख्या 366 में प्रार्थी का सही नाम जोराराम के स्थान पर जोगाराम पुत्र मांगीलाल का अशुद्ध इन्द्राज किया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जोराराम है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्ध नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रविष्टि जोगाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर सही नाम जोराराम पुत्र मांगीलाल इन्द्राज करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी संख्या 01 से 5 की ओर से प्रार्थी के आवेदन पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जबाव पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 06 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जबाव बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 06 वक्त बहस अनुपस्थित रहें।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मालियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 616/378 क्षेत्रफल 26.09 बीधा अवस्थित है। विवादित भूमि मूल खसरा संख्या 378 रकबा 129–02 बीधा प्रार्थी के पिता मांगीलाल व अन्य सहखातेदारी में आई हुई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर वारिसान के आधार पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुई,जिसमें प्रार्थी का सही नाम जोराराम का अंकन किया गया। विवादित भूमि का प्रार्थी एंव अन्य सहखातेदार द्वारा भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाया गया, वक्त बंटवाड़ा के आधार पर भरे गए नामान्तकरण संख्या 366 में प्रार्थी का सही नाम जोराराम के स्थान पर जोगाराम पुत्र मांगीलाल का अशुद्व इन्द्राज किया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जोराराम है। लेकिन अशुद्व प्रविष्टि जोगाराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक जोराराम दर्ज है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम जोराराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में अशुद्व नाम जोगाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर जोराराम पुत्र मांगीलाल इन्द्राज किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.वकील विप्रार्थी संख्या 01 से 5 ने दौराने बहस निवेदन है कि विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम जोगाराम इन्द्राज हो रखा है,जबकि वास्तविक नाम जोराराम है। प्रार्थी का विवादित भूमि में जोगाराम के स्थान पर जोराराम नाम शुद्व इन्द्राज किया जाता है तो विप्रार्थी का आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें [illegible] मालियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 616/378 क्षेत्रफल 26.09 बीधा [illegible] की आवगी खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम जोगाराम पुत्र [illegible] दर्ज हो रखा है। जबकि विवादित भूमि के संबध में पारित नामान्तकरण संख्या 366 के कालम संख्या 07 में प्रार्थी का सही नाम जोराराम पुत्र मांगीलाल इन्द्राज है,इसी नामान्तकरण के कालॅम संख्या 09 में बंटवाड़ा के आधार पर इसी नामान्तकरण में खाता विभाजन करतें समय प्रार्थी का वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नाम जोराराम के स्थान पर अशुद्व नाम जोगाराम पुत्र मांगीलाल इन्द्राज हो गया। इससे प्रमाणित है कि प्रार्थी की विवादित भूमि में अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो प्रार्थी विवादित भूमि में शुद्व नाम इन्द्राज करवानें का हकदार प्रतीत होता है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य यथा–जन आधार कार्ड प्रति,भामाशाह कार्ड प्रति,आधार कार्ड प्रति में प्रार्थी का वास्तविक नाम जोराराम अंकन है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम जोराराम है। विवादित भूमि के मूल खातेदार विप्रार्थी संख्या 01 से 5 ने भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी का सही नाम जोराराम है न कि जोगाराम है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं दस्तोवजी साक्ष्य सबूतो से प्रमाणित है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्व नाम जोगाराम इन्द्राज हो रखा है,जो प्रार्थी सही नाम जोराराम इन्द्राज करवानें का हकदार है। प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम जोगाराम के स्थान पर जोराराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मालियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 616/378 क्षेत्रफल 26.09 बीधा भूमि में प्रार्थी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि जोगाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर जोराराम पुत्र मांगीलाल दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 15.3.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:09:15 IST
Reason: SelfAttested